कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नैनीताल (हल्द्वानी)

ईमेल–cfontl.ukfs@gmail.com.

पत्रांकः–सी0एफ0ओ0–न–6(इ0)/2021 दिनांक–अक्टूबर 11 ,2021

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
LAKES INTERNATIONAL SCHOOL,
NEAR VIKAS BHAWAN BHIMTAL,
DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND.

विषयः– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक एंव आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0–82233435 दिनांक–30.09.2021 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांकः30.09.2021 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा LAKES INTERNATIONAL SCHOOL, NEAR VIKAS BHAWAN BHIMTAL, का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. परिसर में [illegible] ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक 35 हजार ली0 क्षमता एवं ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक 20 हजार ली0 क्षमता का [illegible] है।

2. परिसर में 15 अदद एबीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा0 क्षमता, 02 अदद वाटर सीआटू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 09 ली0 क्षमता एवं 01 अदद एएफएफएफ टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 09 ली0 क्षमता का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि–

1. [illegible] / अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC-2016 के Part-04 में [illegible] अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

2. [illegible] में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता [illegible] रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाये रखेंगे।

3. सभी [illegible] या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़िया प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।

4. आपके [illegible] में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रकिया (Evacuation) का ज्ञान होना [illegible] है।

5. [illegible], विद्युत पैनल के आस–पास तथा निकास मार्ग, भवन सैट बैक क्षेत्र में किसी सामग्री का भण्डारण नही किया जायेगा। भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर [illegible] हेतु संस्तुति नही की जायेंगी।

6. प्रत्येक [illegible] कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार (10 रू0 प्रति फायर एक्सटिंयूशर टेस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क–(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाये , 109 अग्नि से संरक्षण एव नियन्त्रण कराया जायेगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र नवीनीकृत नही कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

7. निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण–पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नही होगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तो का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक–न–1–होट0/एफ.एस.नैनीताल /21 के आधार पर LAKES INTERNATIONAL SCHOOL, NEAR VIKAS BHAWAN BHIMTAL, को दिनांक–11 अक्टूबर 2021 से 10 अक्टूबर 2022 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

11.10.21

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)।

CamScanner